GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34] दिल्ली, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2011, बृहस्पतिवार/भाद्र 11—भाद्र 17, 1933 No. 34] DELHI, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2011, THURSDAY/BHADRA 11—BHADRA 17, 1933

[रा.स.स.क्षे.दि. सं. 140]

[N.C.T.D. No. 140]

भाग—IV PART-IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

[दिल्ली, 29 अगस्त, 2011

फा. सं. 10(2095) / मु.स. (मुख्या.) / स.शु. / 16450.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वाप्कोस लि., पाँचवीं मंजिल, 26, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 200001 से 300000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 29th August, 2011

F. No. 10(2095)/COS (HQ)/Cons. Duty/ 16450.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wapcos Ltd., 5th Floor, "Kailash", 26 K.G. Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,000 (Rupees ten thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 200001 to 300000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 30 अगस्त, 2011

फा. सं. 10(2042)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु.,/16586.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्रा.लि., ए-173, पहली मंजिल, रोड
नं. 4, स्ट्रीट नं. 10, महीपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037, द्वारा
जारी किए जाने वाले ₹ 59,99,99,739 मूल्य के इिक्वटी एवम्
प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश: 2250011 से 2250110
और 01 से 1427587 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,00000
(रुपये छ: लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

Delhi, the 30th August, 2011

F. No. 10(2042)/COS (HQ)/Cons. Duty 16586.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Transpole Logistics Pvt. Ltd., A-173, 1st Floor, Road No. 4, Street No. 10, Mahipalpur Extn., New Delhi-110037 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,00,000 (Rupees six lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 59,99,99,739 for issue of equity shares and preference shares bearing distinctive Nos. 2250011 to 2250110 for equity shares and 01 to 1427587 for preference shares to be issued by the said company.

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2011

फा. सं. 10(2080)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16639.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री हेसिन्डा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव,
पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से
10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 500 (रुपये पाँच सौ)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 1st September, 2011

F. No. 10(2080)/COS (HQ)/Cons. Duty/16639.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hacicnda Projects Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave Part-1, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 500 (Rupees five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2090) मु.स. (मुख्या.) /स.श्. /16640.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., ऊर्जानिधि, 1, बाराखम्भा
लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 25,89,40,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल,
नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है
जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00025894 सीरीज 76(ए) है,
पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2090)/COS (HQ)/Cons. Duty/16640.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees Twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 25,89,40,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 76 (A) bearing distinctive Nos. 00000001 to 00025894 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2094)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16641.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., ऊर्जानिधी, 1, बाराखम्भा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 20,84,70,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्डस जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00020847 सीरीज 75(सी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2094)/COS (HQ)/Cons. Duty/16641.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees Twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 20,84,70,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 75(C) bearing distinctive Nos. 000000001 to 00020847 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2092) / मु.स. (मुख्या.) / स.शु. / 16642.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., ऊर्जानिधी, 1, बाराखम्भा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,60,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00003600 सीरीज 75(बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2092)/COS (HQ)/Cons. Duty/16642.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees Twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹3,60,00,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 75(B) bearing distinctive Nos. 000000001 to 00003600 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2093)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16643.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश
देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., ऊर्जानिधी, 1,

बाराखम्भा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 11,05,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00011050 सीरीज 76(बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2093)/COS (HQ)/Cons. Duty/16643.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees Twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 11,05,00,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 75(B) bearing distinctive Nos. 00000001 to 00011050 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2091)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16644.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश
देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., ऊर्जानिधी, 1,
बाराखम्भा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए
जाने वाले ₹ 5,55,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन
कनवर्टीबल, नन कमयूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिबेन्चर के
रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00005550 सीरीज
75(ए) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये
पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

F. No. 10(2091)/COS (HQ)/Cons. Duty/16644.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lanc, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees Twenty five lakh) only on the aggregate value of debentures of ₹ 5,55,00,00,00,000 for issue of Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 75(A) bearing distinctive Nos. 000000001 to 00005550 to be issued by the said company.

फा. सं. 10(2070)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./16645.—
गृह मंत्रालय, भारतं सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ),
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश
देते हैं कि सर्वश्री सैंको गोसेइ टेक्नोलॉजी इण्डिया प्रा. लि., 7,
बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 54,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 210001
से 750000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,400 (रुपये पाँच
हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, आर.के. मिश्रा, बिशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण) F. No. 10(2070)/COS (HQ)/Cons. Duty/16645.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sanko Gosei Technology India Pvt. Ltd., 7, Barakhamba Road, New Delhi-110001shall pay a consolidated stamp duty of ₹5,400 (Rupees five thousand four hundred) only on the aggregate value of shares of ₹54,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 210001 to 750000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Government of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)